प्रधान कार्यालय :
डा.पे.सं. 88,
मंगलादेवी मंदिर मार्ग,
पांडेश्वर,
मंगलूरु - 575 001.
कर्नाटक राज्य

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

Head Office :
P.B. No. 88,
Mangaladevi Temple Road,
Pandeshwar,
MANGALURU - 575 001.
Karnataka State

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक A Premier Public Sector Bank

निवेशक सेवा विभाग INVESTOR SERVICES DEPARTMENT

संदर्भ Ref. :नि.से.वि.ISD/221/2018-19 **दिनांक Date: 14th अगस्त August 2018**

To, **BSE Ltd,** Corporate Relationship Department Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Towers Dalal Street, Fort MUMBAI - 400 001 **http://listing.bseindia.com–Listing Centre** Ref.: Code No.532179	To, The Manager Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI - 400 051 **https://www.connect2nse.com/LISTING/-NEAPS** Symbol: CORPBANK

महोदय Sir,

Sub.: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank.

Ref.: Our letter no. ISD/212/2018-19 dated 11.08.2018.

This is to inform that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank which will be held on Friday, the 7th September 2018 at 10.30 a.m. at Head Office, Mangaluru for the approval by special resolutions:

1. To issue equity shares on preferential basis to Government of India to the tune of Rs. 2555 crore.
2. To issue up to 10 crore Equity Shares of Rs.2 each face value at a premium to the Employees of the Bank under Corporation Bank Employee Stock Purchase Scheme (CorpBank-ESPS) in one or more tranches as per the provisions of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

We are enclosing herewith a copy of Notice of the EGM.

The cut-off date for determining the voting rights of the shareholders for participation is 1st September 2018.

The Remote E-Voting period will be from 4th September 2018 (9.00 A.M.) to 6th September 2018 (05.00 P.M.).

This information is furnished under Regulation 29 & 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

भवदीय Yours faithfully,

(एस.के. दाश S.K. Dash)
उप महाप्रबंधक (कंपनी सचिव)
Deputy General Manager (Company Secretary)

संलग्न Encl.: यथोक्त as above

असाधारण महा सभा की सूचना

Notice for Extraordinary General Meeting

07 सितंबर 2018, मंगलूरु

7TH SEPTEMBER 2018, MANGALURU

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय : मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु – 575 001

द.क. ज़िला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा शुक्रवार, 7 सितंबर 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे सहस्त्राब्दी भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर – 575 001 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा :

मद संख्या 1

अधिमानी आबंटन के अंतर्गत लाभांश के भुगतान सहित यदि कोई हो तो समस्त प्रयोजनों और सभी प्रकार के मौजूदा इक्विटी शेयरों की सममूल्य (परी पस्सु) रैंकिंग के साथ प्रिमियम सहित ₹2/–(रुपये दो मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के ₹2,555 करोड़ तक के नए शेयरों पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो, आशोधन(नों) सहित या रहित,निम्नांकित को विशेष संकल्प(पों) के बतौर पारित किया जाना :

''**संकल्प किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी) (बी), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (योजना) के खण्ड 20, सेबी(सूचीकरण बाध्यताएँ तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 41 (उसमें किसी आशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण करार के संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 (बैंक विनियम) के विनियम 4ए के प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/मार्गनिर्देश, यदि कोई है तो, के अनुसार लागू हद तक और कार्पोरेशन बैंक (**बैंक**) के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात् ''**निदेशक मंडल**'' कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस विनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु गठित/गठित की जानेवाली समिति (याँ) शामिल समझी जाएँगी, अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी के अधीन, एतद्द्वारा बैंक की ओर से प्रति ईक्विटी शेयर **₹27.40** के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹2/- (रुपए दो मात्र) के अर्थात् **₹29.40** की इश्यू कीमत पर बैंक के 86,90,47,619 ईक्विटी शेयर जिसकी कुल राशि **₹2554,99,99,998.60 करोड़** (रुपए दो हजार पाँच सौ चौवन करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हज़ार नौ सौ अठानवे और साठ पैसे मात्र) (प्रीमियम राशि सहित) को भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009, (अर्थात **सेबी आईसीडीआर विनियम**'') के अध्याय VII के विनियम 76 के अनुसार बोर्ड के निर्णयानुसार अधिमान शेयर के रूप में पेशकश करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी आईसीडीआर विनिमयों के अनुसार ईक्विटी शेयरों के मूल्य के निर्धारण के लिए नियत तारीख 08 अगस्त, 2018 होगी।

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अपेक्षितानुसार प्रस्ताव में आशोधन करने का अधिकार होगा या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्स्चेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचिबद्ध हैं, या उसको जारी करने, आबंटित करने तथा सूचिबद्ध करने के अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी देने के समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार होगा।

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी और आबंटित किए जानेवाले नये ईक्विटी शेयर डीमैट रूप में होंगे और सेबी आईसीडीआर विनियम के अपेक्षितानुसार निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन) अपेक्षाओं के अधीन होंगे और बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से (लाभांश सहित) सममूल्य होंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध है।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु निदेशक मंडल को ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम करने हेतु तथा उक्तईक्विटी शेयरों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाइयों और संदेश को निपटाने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझा जाए। इसके अलावा उसे ऐसी समस्त कार्रवाई, कार्य, मामले और काम आवश्यक, वांछनीय और अनिवार्य दस्तावेज़ों और कागज़ात को अंतिम रूप देकर निष्पादित करने जो कि निदेशक मंडल के पूर्ण विवेक में उपयुक्त, उचित और वांछनीय हों, इसके लिए उन्हें शेयरधारकों से अतिरिक्तसहमति या अनुमोदन माँगना न पड़े और वे इस प्रकार प्राधिकृत हों मानो इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने उन्हें स्पष्टतया अनुमोदन दिया हो।''

Corporation Bank

HEAD OFFICE: MANGALA DEVI TEMPLE ROAD, MANGALURU – 575 001
D. K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on Friday, the 7th day of September, 2018 at 10.30 a.m. at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangaluru - 575 001, to transact the following business:

Item No.1

To create, issue and allot to the extent of ₹2,555 crore including premium, new equity shares of face value of ₹2/- (Rupees Two only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend if any, under Preferential Allotment, and to consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following as Special Resolution (s):

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 3(2B)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (the Act), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (the Scheme), Regulation 41 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **[SEBI (LODR) Regulations, 2015]** (including any amendment thereto or re-enactment thereof), relevant provisions of Listing Agreement entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 **(Bank Regulations)** and the other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, which may be agreed to by the Board of Directors of the Corporation Bank (the **Bank**) (hereinafter referred to as the **"Board"**, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Regulation) be and is hereby authorised on behalf of the Bank, to create, offer, issue and allot upto 86,90,47,619 equity shares of ₹2/- each (Rupees Two only) for cash at a premium of **₹27.40** per equity share i.e. issue price of **₹29.40** aggregating upto **₹2554,99,99,998.60 crore** (Rupees two thousand five hundred and fifty four crore ninety nine lakh ninety nine thousand nine hundred ninety eight and paise sixty only) (inclusive of premium amount) on preferential basis to **Government of India** (i.e. President of India) as determined by the Board in accordance with Regulation 76, Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (i.e. the **SEBI ICDR Regulations**)".

"RESOLVED FURTHER THAT the relevant date for the determination of the price of the equity shares shall be 8th August, 2018 in accordance with the SEBI ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under the SEBI ICDR Regulations. The Equity shares so allotted on Preferential basis shall rank *pari passu* in all respects (including Dividend) with the existing Equity Shares of the Bank and be listed on Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मण्डल को पूर्वोक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशकों की समिति को अपने सभी या किसी अधिकार को प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा।''

मद सं. 2

कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे इसमें इसको ''कार्पबैंक-ईएसपीएस'' के रूप में संदर्भित किय गया है) के अंतर्गत ऐसी कीमतों पर बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार यथानिर्णीत निबंधनों और शर्तों पर लाभांश के भुगतान सहित समस्त प्रयोजनों और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की सममूल्य रैंकिग के साथ ₹2/- (रुपये दो मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों का एक अथवा अधिक चरणों में सृजन, प्रदान, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन पर विचार करना तथा यदि उपयुक्तसमझा जाए तो, आशोधन(नों) सहित या रहित,निम्नांकित को विशेष संकल्प(पों) के बतौर पारित किया जाना:

''**संकल्प लिया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3(2बी) (सी) (''अधिनियम''), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (योजना) के खण्ड 20, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 41 (उसमें किसी आशोधन या पुनःअधिनियमन सहित), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड **(बीएसई)** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **(एनएसई)** के साथ किए गए सूचीकरण करार के संबंधित प्रावधानों के अनुसरण में और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 (**बैंक विनियम**) के विनियम 4ए के प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या संबंधित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/मार्गनिर्देश, यदि कोई है तो, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, सेबी, एनएसई, बीएसई, या अन्य किसी प्राधिकारी, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियों तथा मंजूरियों, यदि कोई हो, के अधीन एवं उसमें निहित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन जैसा कि इस प्रकार का अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा जिसपर कार्पोरेशन बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति दी हो (जिसे इसमें तत्पश्चात् ''**बोर्ड**'' कहा गया है), अद्यतन यथासंशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा यथानिर्धारित-दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा समय-समय पर प्रयोज्य अन्य समस्त विधियों के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक प्राधिकरणों, अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ तथा प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम 2015, सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 अद्यतन यथासंशोधित, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड(एनएसई) के साथ किए गए समरूप सूचीबद्धता करार के अधीन और किसी प्राधिकारी से किसी स्तर पर प्रयोज्य अनुमोदन(नों), अनुमति(यों) और किसी शर्त(शर्तों) के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन(नों), अनुमति(यों) और संस्वीकृति(यों) प्रदान करते समय ऐसे प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अथवा लागू किसी शर्त (शर्तों) और आशोधनों के अधीन और जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और इसे स्वीकार किया गया हो, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें तत्पश्चात् ''**बोर्ड**'' कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित उसके अधिकारों का प्रयोग करने हेतु/गठित समिति शामिल होगी), को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे अधिकारियों को चाहे वे भारत या विदेश में कार्य करते हों, इस अभिव्यक्तिमें बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे **(''कर्मचारी'')**, बोर्ड द्वारा यथानिर्णीत एक अथवा अधिक चरणों में कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे बाद में **''कार्पबैंक-ESPS''** के रूप में माना जाता है), के अंतर्गत ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों पर बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार यथानिर्णीत निबंधनों और शर्तों पर लाभांश के भुगतान सहित समस्त प्रयोजनों और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शोयरों की सममूल्य रैंकिंग के साथ ₹2/- (रुपए दो मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 10,00,00,000/- (रुपए दस करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करें कि भारत सरकार की धारिता 51% से नीचे नहीं आए।''

''**यह भी संकल्प लिया जाता है कि,** सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 15 अथवा इसके किसी सांविधिक आशोधन(नों) संशोधन(नों) अथवा पुन: अधिनियम में यथानिर्धारित लेखा नीतियों का पालन करेगा।''

''**यह भी संकल्प लिया जाता है कि,** बोर्ड ''कार्पबैंक-ईएसपीएस'' के अंतर्गत आबंटित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है,के साथ किए गए समरूप सूचीबद्धता करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तथा अन्य लागू दिशानिर्देशों,नियमों और विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध करने हेतु प्राधिकृत है एवं एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।''

''**यह भी संकल्प लिया जाता है कि,** बोर्ड ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाय,''कार्पबैंक-ईएसपीएस'' के कार्यान्वयन, निरूपण, प्रस्तुत करने और इसे प्रभावी करने और समय-समय पर ''कार्पबैंक-ईएसपीएस'' के निबंधनों और शर्तों में कोई आशोधन, परिवर्तन, विभिन्नता, बदलाव या संशोधन करने, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानंदड के संबंध में संशोधन शामिल है किंतु यहीं तक सीमित नहीं है अथवा ''कार्पबैंक-ईएसपीएस'' को इस प्रकार निलंबित करने,वापस लेने,निरस्त अथवा संशोधित करने सहित, जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार निर्धारित करें, साथ ही ''कार्पबैंक-ईएसपीएस'' के कार्यन्वयन और प्रस्तावित ''कार्पबैंक-ईएसपीएस'' के अनुसरण में जारी किए जाने वाले शेयरों के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रश्नों, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान शेयरधारकों की और किसी सहमति अथवा अनुमोदन की मांग अथवा अन्यथा के बिना यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं किया जाता है ।''

''**यह भी संकल्प लिया जाता है कि,** बोर्ड भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 और अन्य लागू विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ की समिति(यां), बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक(कों) अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।''

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it to a committee of Directors of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution".

Item No. 2

To create, grant offer, issue and allot up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares of face value of ₹2/- (Rupees Two only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "CorpBank-ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 3(2B)(c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("The Act"), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (the Scheme), Regulation 41 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR) Regulations, 2015] (including any amendment thereto or re-enactment thereof), relevant provisions of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended upto date and Listing Agreement entered into with the BSE Limited **("BSE")** and the National Stock Exchange of India Limited **("NSE")** and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (**Bank Regulations**) and the other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India **("GOI")**, Reserve Bank of India **("RBI")**, Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the RBI, GOI, SEBI, NSE and BSE ,wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Corporation Bank (the **Bank**) (hereinafter referred to as the **"Board"**, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Regulation) be and is hereby authorised on behalf of the Bank to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank **("The Employees")**, as may be decided by the Board, aggregating up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares of face value of ₹2/- (Rupees Two only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as **"CorpBank-ESPS")**, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%".

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "CorpBank-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "CorpBank-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "CorpBank-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "CorpBank-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "CorpBank-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "CorpBank-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations".

टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक कथन

बैठक की कार्यवाही के संबंध में भौतिक तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिन शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्तकरने का अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने से **कम-से-कम चार दिन पहले अर्थात 01 सितंबर 2018 को अपराह्न 5.00 बजे** कार्यालय समय की समाप्ति या उससे पूर्व बैंक के निवेशक सेवा प्रभाग, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जानी चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, असाधारण महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि **से कम-से-कम चार दिन** पहले अर्थात् **01 सितंबर 2018 को अपराह्न 5.00 बजे कार्यसमय की समाप्ति अथवा उससे पूर्व बैंक** के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूरु - 575 001, कर्नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

4. उपस्थिति पत्र-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्र बैठक स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्र-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति **- ''प्रॉक्सी''** या **''प्राधिकृत प्रतिनिधि''** जैसा भी मामले हो, उल्लिखित करें।

5. सूचना तामिल करना

बैंक की असाधारण महासभा की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी संसूचना के लिए बैंक/ डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत करवाई है और इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध न किया हो। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत न करवाया हो, उन्हें बैंक की असाधारण महासभा की सूचना की कागज़ी प्रति अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति सूचित करते हुए उपस्थिति पत्रक एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ अनुमत विधि द्वारा भेजी जा रही है।

6. नोटिस में दिया गया व्यवसाय कार्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के द्वारा किया जायेगा साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वोटिंग की सुवधा बैंक उपलब्ध करायेगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग

क) यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक, अपने सदस्यों को असाधारण महासभा (ईजीएम) में प्रस्तावित संकल्पों को पास करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तुत करता है। सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक की जगह के अतिरिक्त अन्य जगह से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग)।

ख) इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करने की सुविधा (इंस्टा पोल) को बैठक के स्थान पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैठक में आने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट वोटिंग(इंस्टा पोल) द्वारा वोटिंग नहीं किया है वे अपना वोट दे सकेंगे ।

ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग किया है वे भी बैठक में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारक के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करते हुए मत देना अनिवार्य नहीं है और निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक शेयरधारक इस सुविधा का उपयोग अपने वोट देने हेतु कर सकता/सकती है/सकते हैं।

घ) बैंक ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड(कार्वी) को नियुक्त किया है।

ङ) मतदान अधिकार की गणना **कट-ऑफ तिथि** अर्थात **01 सितंबर 2018** को सदस्य/लाभार्थी स्वामी द्वारा धारित शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जायेगी जो इस शर्त के अधीन होगा कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य कोई शेयरधारक बैंक के कुल शेयरधारकों के मताधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता हेतु मताधिकार के लिए पात्र नहीं होगा।

NOTES

1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the businesses of the meeting are annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be valid and effective, must be received by the Bank at its Investor Services Department, Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangaluru – 575 001, Karnataka State, **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. of 1st day of September 2018**.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangaluru – 575 001, Karnataka State not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. of 1st day of September 2018.**

4. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as **"Proxy"** or **"Authorized Representative"** as the case may be.

5. SERVING OF NOTICE

Electronic copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the Extra Ordinary General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form, are being sent in the permitted mode.

6. THE BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE WILL BE TRANSACTED THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM AND THE BANK IS PROVIDING FACILITY FOR VOTING BY ELECTRONIC MEANS.

VOTING THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM

a) In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI(LODR) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Bank is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Extraordinary General Meeting (EGM) by electronic means. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting').

b) The facility for voting through electronic voting system ('Insta Poll') shall be made available at the Meeting and the members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through 'Insta Poll'.

c) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the remote e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility to cast his/her/their vote at the meeting, subject to compliance with the instructions prescribed below.

d) The Bank has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide e-voting facility.

e) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member / beneficial owner (in case of electronic shareholding) as on the **cut-off date** i.e., **1st day of September, 2018**, subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

च) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपाजिटरी के पास रखे लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में **कट–ऑफ तिथि 01 सितंबर 2018** को दर्ज होगा वही रिमोट ई–वोटिंग/इंस्टा पोल के लिए पात्र होगा।

छ) एक व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और **कट–ऑफ तिथि 01 सितंबर 2018** को शेयर धारण करता है वह निम्नलिखित प्रकार से यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है :

बैंक को isd@corpbank.co.in पर या शेयरधारिता के प्रमाणीकरण के साथ डाक द्वारा लिखे या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को ई–वोटिंग की समाप्ति के पर्याप्त पहले vlaksmi.p@karvy.com पर ई–मेल करें।

ज) रिमोट ई–वोटिंग **04 सितंबर 2018** (प्रातः10 बजे) से शुरू होकर **06 सितंबर 2018** (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी तथा इस तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। **01 सितंबर 2018 (कट–आफ तिथि)** को इलेक्ट्रानिक या भौतिक रूप से बैंक शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारक इस अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग इस अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक ढंग से कर सकते हैं। इसके बाद कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट इ–वोटिंग मॉड्यूल को ब्लाक कर दिया जायेगा। यदि शेयरधारक किसी संकल्प पर अपना वोट दे देता है तब बाद में इसके परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

झ) संयुक्तधारकों के मामले में, लॉगइन आईडी/यूजर आईडी को प्रथम शेयरधारक के नाम से भेजा जायेगा। तदनुसार प्रथम शेयरधारक को भेजे गए यूजर आइडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए दिए जाने वाले मत को सभी शेयरधारकों की ओर से माना जायेगा क्योंकि कार्वी की रिमोट इ–वोटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए जो शेयरधारक मतदान करता है वह सभी संयुक्तशेयरधारकों की ओर से मतदान करता है। प्रथम शेयरधारक से तात्पर्य धारित शेयरों में पंजीकृत पहला नाम है।

ञ) केवल वह शेयरधारक जो मतदान करने हेतु पात्र है वहीं रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान हेतु भी पात्र होगा। कोई व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार नहीं है इस सूचना को केवल सूचनार्थ समझें।

ट) मेसर्स इजेडवाई लॉज, मुंबई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट (बार काउंसिल पंजीयन सं. एमएएच/5718/2011) कोई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा हेतु मतपत्र–निरीक्षक नियुक्त किया गया है तथा उन्होंने नियक्ति हेतु अपनी सहमति दी है एवं इस हेतु उपलब्ध रहेंगे।

ठ) मतपत्र–निरीक्षक पहले बैठक में हुए मतदान के मतों की गणना करेगा (इंस्टा वोट), तत्पश्चात असाधारण महासभा की बैठक के तीन दिन के भीतर दो गवाहों जो बैंक या संगठन के कर्मचारी न हों उनके समक्ष रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को अनब्लाक करेगा, अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किए गए व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं परिणाम को जारी किए जाने हेतु इस रिपोर्ट को प्रतिहस्ताक्षरित भी करेगा ।

ड) घोषित परिणाम को मतपत्र–निरीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट **www.corpbank.com** तथा कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही परिणाम का स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई तथा बीएसई) को भी सूचित किया जाना चाहिए ।

ढ़) आवश्यक मतों के प्राप्त होने के अधीन संकल्प को बैठक की तिथि 07 सितंबर 2018 को जारी मान लिया जायेगा।

ण) **रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित अनुदेश तथा अन्य सूचनाएँ :**

रिमोट ई–वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैः

I क. **यदि किसी शेयरधारक को प्राधिकृत ई–वोटिंग प्लैटफार्म प्रदाता कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से ई–मेल प्राप्त होता है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई–मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है):**

i) वोटिंग के दौरान अपने वेब ब्राउज़र को खोलें और **'https://evoting.karvy.com'** में नैविगेट करें।

ii) **ई–मेल में/उपस्थिति पर्ची पर** उल्लिखित लॉगइन विवरण (अर्थात् यूज़र आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। अपनी फोलियो/क्लाइंट आईडी आपकी यूज़र आईडी होगी।

यूज़र– आईडी	डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिएः– क) एनएसडीएल के लिएः– 8 कैरेक्टर वाली डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी ख) सीडीएसएल के लिएः– 16 अंकों वाली लाभार्थी आईडी कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिएः– • EVEN उसके बाद बैंक से पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशिष्ट पासवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सूचना के ज़रिए ई–मेल द्वारा भेजा है।
कैपचा	सत्यापन कूट प्रविष्ट करें अर्थात् सुरक्षा कारणों से ठीक उसी तरीके से वर्णों और संख्याओं को प्रविष्ट करें।

iii) किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए **ई–वोटिंग प्लैटफार्म प्रोवाइडर अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.** की टोल फ्री सं. 18003454001 पर संपर्क करें।

f) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date**, i.e., **1st day of September, 2018** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / Insta Poll.

g) Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the **cut-off date** i.e., **1st day of September, 2018,** may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:

by writing to the Bank at isd@corpbank.co.in or by post to the Bank with authenticated proof of shareholding or write to KARVY Computershare Pvt. Ltd. at vlakshmi.p@karvy.com, sufficiently before the closing of the remote e-voting.

h) The remote e-voting period commences on **4th September 2018** (9:00 a.m.) and ends on **6th September, 2018** (5:00 p.m.) and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on **1st day of September, 2018 (cut-off date),** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be blocked by Karvy Computershare Pvt. Ltd., for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

i) In case of joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of Karvy, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.

j) Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.

k) Mr. Ankur Kumar, Advocate (Bar Council Registration No. MAH/5718/2011) of M/s Ezy Laws, Mumbai, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for same purpose.

l) The Scrutinizer shall unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make, not later than three days of conclusion of the Extraordinary General Meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, and submit the report to the Chairman or a person authorised by him in writing and shall countersign the same to declare the result of voting forthwith.

m) The Results declared alongwith the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website **www.corpbank.com** and on the website of Karvy Computershare Pvt. Ltd. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges (NSE & BSE).

n) Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. 7th September, 2018.

o) **Instructions and other information relating to remote e-voting:**

The instructions for remote e-voting are as under:

I A. **In case a shareholder receives an e-mail from Karvy Computershare Pvt. Ltd. the authorised e-Voting Platform provider, [for shareholders whose e-mail IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)]:**

i) Open your web browser on your computer/on the enabled gadgets during the voting period and navigate to **https://evoting.karvy.com**

ii) Enter the login credentials (i.e., user-id and password) mentioned in the e-mail/on the Attendance slip. Your folio/DP ID, Client ID will be your User-ID.

User-ID	For Members holding shares in Demat Form:- a) For NSDL :- 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID b) For CDSL :- 16 digits beneficiary ID For Members holding shares in Physical Form:- • EVEN followed by Folio Number registered with the Bank.
Password	Your Unique password is forwarded through the electronic notice via e-mail
Captcha	Enter the Verification code i.e., please enter the alphabets and numbers in the exact way as they are displayed for security reasons.

iii) Please contact toll free No. 1800 345 4001 of **e-Voting Platform provider, i.e. Karvy Computershare Pvt. Ltd.,** for any further clarifications.

iv) उपयुक्त तरीके से ब्यौरे प्रविष्ट करने के बाद "LOGIN" पर क्लिक करें।

v) डीमैट/कागज़ी रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब पासवर्ड बदलने का मेनू पाएंगे जिसमें उन्हें नए पासवर्ड की फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में न्यूनतम आठ कैरेक्टर होने हैं जिनमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z) वाला, एक लोवर केस (a-z) वाला, एक संख्या (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए आप गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि कर सकते हैं । आप अपने संपर्क ब्योरों को भी अद्यतन कर सकते हैं। **इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।**

vi) कार्पोरेशन बैंक या भारत में किसी अन्य बैंक/कंपनी में, जिसमें आप मतदान करने के लिए पात्र हैं, भावी ई-वोटिंग संकल्प (संकल्पों) पर वोटिंग करने के लिए नए पासवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वह बैंक/कंपनी ई-वोटिंग के लिए कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के ई-वोटिंग प्लैटफार्म का चयन करती है।

vii) आपको नए ब्यौरों अर्थात् पासवर्ड आदि के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

viii) सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद 'EVEN' अर्थात् 'बैंक का नाम' चुनने के लिए सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा।

ix) वोटिंग पृष्ठ पर आपको संकल्प का विवरण दिखाई देगा और और उसके सामने वोटिंग के लिए 'FOR/AGAINST/ ABSTAIN' विकल्प होगा। 'FOR/AGAINST/ABSTAIN' के अंतर्गत शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाते हैं) प्रविष्ट करें या विकल्प के तौर पर आप आंशिक रूप से कोई संख्या 'FOR' में प्रविष्ट कर सकते हैं और आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन 'FOR/AGAINST' में कुल मिलाकर अपनी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शेयरधारक वोट नहीं डालना चाहता है तो 'ABSTAIN' चुने।

x) मतदान करने के लिए संकल्प को चुनने के बाद "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण का बॉक्स दिखाई देगा। अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने विकल्प को परिवर्तित करें।

xi) एक बार आप संकल्प पर अपने वोट को 'CONFIRM' करते हैं, आपको अपने वोट को बदलने की अनुमति नहीं होगी और इसे आपके द्वारा अंतिम वोटिंग माना जाएगा।

xii) कंपनी निकाय सहित संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर अन्य) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की स्कैन की गई प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में एटैचमेंट के रूप में हो), जिसे जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, और उसके साथ वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ई-मेल के ज़रिए **evoting@karvy.com** को प्रति अंकित करते हुए **evoting@ezylaws.com** पर स्क्रूटिनाइज़र को भेजें। फाइल का नाम "the body corporate Name----------EVEN ----------" फार्मेट में हो। उपर्युक्तानुसार स्कैन की गई प्रतियाँ ई-वोटिंग से पहले या तुरंत बाद ई-मेल द्वारा भेजी जानी है। अगर वह ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले स्क्रूटिनाइज़र/ कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त नहीं होती है, तो की गई ई-वोटिंग कंप्यूटर सिस्टम में अस्वीकृत की जाएगी।

I ख. **यदि किसी शेयरधारक को असाधारण महासभा (ईजीएम) की सूचना की कागज़ी प्रति प्राप्त होती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है और जो कागज़ी प्रति का अनुरोध करते हैं):**

i) एजीएम के उपस्थिति पत्रक के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड दिया गया है।
EVEN (ई वोटिंग ईवेंट नंबर)
यूज़र आईडी **पासवर्ड**

ii) कृपया वोट डालने के लिए उपर्युक्त क्रमांक ख ए(i) से क्रमांक (xii) तक दिए कदमों का अनुसरण करें।

II) यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. से 1800 345 4001 (टोल फ्री) से संपर्क कर सकते हैं।

III) अगर आपने ई-वोटिंग के लिए पहले ही कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के साथ रजिस्टर करवाया है तो आप अपना वोट डालने के लिए अपना वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IV) भावी संसूचनाएं भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में आप अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं।

7. शेयरधारकों से निवेदन

क) **सूचना की प्रतिया**

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि असाधारण महासभा के समय सूचना की प्रतियाँ वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर या ई-मेल पते पर भेजी गई सूचना की प्रति या उसके उद्धरण को साथ लेकर आएं।

iv) After entering these details appropriately, click on "LOGIN".

v) Members holding shares in Demat/Physical form will now reach Password Change menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z) one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. You may also enter the Secret Question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. You can also update your contact details. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

vi) The new password can be used for voting on future e-voting resolution(s) for Corporation Bank or any other Bank/Company in India on which you are eligible to vote, provided that Bank/Company opts for e-Voting through Karvy Computershare Private Limited, e-Voting Platform provider.

vii) You need to login again with the new credentials i.e., with new password etc.

viii) On successful login, system will prompt to select the 'EVEN' i.e., 'Bank Name'.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option 'FOR/AGAINST/ ABSTAIN' for voting. Enter the number of shares (which represents number of votes) under 'FOR/AGAINST/ ABSTAIN' or alternatively you may partially enter any number in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR/AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding/voting right. If the shareholder does not want to cast, select 'ABSTAIN'.

x) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote and it will be treated as final voting by you.

xii) Institutional shareholders including body corporates (i.e., other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **evoting@ezylaws.com** with a copy marked to **evoting@karvy.com.** The file should be named in the format of "the body corporate Name----------EVEN ----------". The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the remote e-voting. However, in case the same do not reach scrutinizer/Karvy Computershare Pvt. Ltd., before closure of remote e-voting, the remote e-voting so exercised will be rejected in computer system.

I B. **In case a shareholder receives physical copy of the Notice of Extraordinary General Meeting (EGM) [for shareholders whose e-mail IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requesting physical copy]:**

i. Initial password is provided at the bottom of the Attendance Slip for the EGM:
EVEN (E-Voting Event Number)
USER ID PASSWORD

ii. Please follow all steps from Sl. No. IA (i) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

II) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd., on Tel. No.1800 345 4001 (toll free).

III) If you are already registered with Karvy Computershare Pvt. Ltd., for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

IV) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

7. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS

(A) **Copies of Notice**
Shareholders are requested to note that copies of the Notice will not be distributed at the venue of the Extraordinary General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Notice or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.

ख) **शेयरों का डीमेटीरियलाइजेशन**

अपने शेयर प्रमाणपत्र अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को यथाशीघ्र डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

ग) **पता या ई–मेल आईडी में परिवर्तन**

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें:

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को।
- कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिटः कार्पोरेशन बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर–बी, प्लाट सं. 31 व 32 फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, गाचीबावली, नानकरामगुडा, सेरेलिंगमपल्लि, हैदराबाद – 500 032 को।
- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पते को बैंक में पंजीकृत/अद्यतन करें ताकि बैंक ई–मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि भेज सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। कागज़ी रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को, जो बैंक का शेयर अंतरण एजेंट है, यथा शीघ्र अपना ई–मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) फोलियो का समेकन

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्तनाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक ही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को भेजें।

ङ) स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निम्नलिखित सूचना तुरंत दें:

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन

ख) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्योरे, पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन सहित बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

च) संयुक्तधारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि शेयर संयुक्तनाम में धारित है तो पहला नाम वाला शेयरधारक बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होगा ।

छ) शेयरधारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अधीन, कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के खण्ड 68(i) के अनुसार, कट ऑफ तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हस्त प्रदर्शन पर एक वोट होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगा।

ज) अन्य सूचना

क) पर्यावरण सजगता पहल के समर्थन में बैंक ने सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 के प्रावधानों के अनुसार, अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास जिन शेयरधारकों ने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करवाई है, उन्हें असाधारण महासभा की सूचना की सॉफ्ट प्रतियाँ भेजने का निर्णय लिया है। लेकिन सदस्य कृपया यह नोट करें कि असाधारण महासभा की सूचना उनके द्वारा डाउनलोड करने के लिए बैंक की वेबसाइट **www.corpbank.com** पर भी उपलब्ध होगी। पूर्वोक्तदस्तावेज़ों की कागज़ी प्रतियाँ निरीक्षण हेतु कार्यदिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान मंगलूरु में बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होंगी। ई–संसूचना के लिए पंजीकृत करवाने के बावजूद, सदस्य, अनुरोध करने पर डाक से निशुल्क कागज़ी रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। किसी संसूचना के लिए शेयरधारक बैंक की विशिष्ट ई–मेल आईडी **isd@corpbank.co.in** को या डाक द्वारा भी अनुरोध भेज सकते हैं।

ख) शेयर धारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार–कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

ग) अन्य शेयरधारकों की ओर से उपस्थित प्राक्सीधारक को एकल व्यक्तिके रूप में माना जाएगा ।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 11.08.2018

(B) **Dematerialisation of Shares**

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest.

(C) **Change of address or e-mail ID**

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant, in case shares are held in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Karvy Selenium Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032 in case shares are held in physical form.
- Shareholders are also requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all communications/notices/Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/update their e-mail addresses with their respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) **Consolidation of Folios**

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names, are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(E) **Change of Status**

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(F) **Exercise of Rights of Joint Holders**

If shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote.

(G) **VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:**

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

In terms of Clause 68(i) of Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on the cut-off date, shall have one vote on show of hands and in case of a poll, shall have one vote for each share held by him.

(H) **Other information**

a) In support of the green initiative, the Bank has decided to send soft copies of the Notice of Extraordinary General Meeting to all the shareholders who have registered their e-mail ids with their Depository Participant/ Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the provisions of Regulation 36 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. However, members may note that the Notice of the Extraordinary General Meeting will also be available on the Bank's website www.corpbank.com for their download. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank's dedicated e-mail ID -: **isd@corpbank.co.in** or by post.

b) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

c) The proxyholder present on behalf of other shareholder will be treated as single person.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK



Place : Mangaluru
Date : 11.08.2018

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

व्याख्यात्मक कथन

मद सं.1

बैंक बैंकिंग और संबंधित क्रियाकलापों के कारोबार में है । संप्रति बैंक की प्राधिकृत पूँजी ₹3000 करोड़ (रुपए तीन हज़ार करोड़ मात्र) है । 30 जून, 2018 को बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी ₹333.11 करोड़ है।

वर्तमान में आपके बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता ₹266.04 करोड़ है जो बैंक की प्रदत्त पूँजी का 79.87% है । 30 जून, 2018 को बैसल-III के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजीगत निधियाँ निम्नानुसार हैं :

विवरण (यथा)	राशि (₹ करोड़ में)	जोखिम भारित आस्ति से पूँजीगत निधियों का %
जोखिम भारित आस्तियाँ	119619.04	–
टियर - I पूँजी	7559.86	6.32
टियर - II पूँजी	2564.38	2.14
कुल पूँजीगत निधियाँ	10124.24	8.46

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमान इश्यू से संबंधित निम्नलिखित ब्योरे प्रकट किए जाते हैं :

I. प्रस्तावित अधिमान इश्यू का उद्देश्य:

बैंक सावधानी के साथ लगातार प्रगति कर रहा है और इसे निरंतर पूंजी की आवश्यकता है। इसके साथ ही बैंक को 2017-18 के लिए बेसल III के दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक द्वारा पूंजी के विनियामक जरूरत को प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ संख्या 7/38/2014-बीओए दिनांक 12 जुलाई 2018 के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बैंक को ₹2,555 करोड़ (रुपये दो हजार पाँच सौ पचपन करोड़ मात्र) की पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया है।

दीर्घावधि स्त्रोतों के द्वारा कारोबार में विस्तार करने हेतु तथा बोर्ड के निर्णायनुसार तथा पूंजी पर्याप्ता से संबंधित बासेल- III की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए, बैंक सामान्य उधार प्रयोजनों हेतु निधियों की बढ़ती अपेक्षा को पूरा करने के उद्देशय से, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के विनियम 76, अध्याय- VII के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित **₹29.40** की कीमत पर भारत सरकार को 86,90,47,619 ईक्विटी शेयर अधिमान इश्यू द्वारा जारी करते हुए निधियों को जुटाने का प्रस्ताव रखता है।

बैंक के निदेशक मंडल को ऊपर वर्णित अधिमान इश्यू को लागू करने में सक्षम बनाने हेतु वर्तमान प्रस्ताव को एक विशेष प्रस्ताव के तौर पर प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार अधिमान आबंटन द्वारा दी जानी वाली पूँजी का उपयोग किसी भी रूप में, किसी अनुषंगी या संयक्त उद्यम आदि में निवेश करने के लिए बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा।

II. उक्तऑफर हेतु अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों/ निदेशकों / प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव:

खण्ड (V) में उल्लिखत बैंक के प्रवर्तक अर्थात भारत सरकार के अलावा किसी निदेशक या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति का उक्त ईक्विटी शेयरों में अभिदान करने का उद्देश्य नहीं है ।

III. प्रस्तावित अधिमान ऑफर से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %
1.	प्रवर्तक भारत के राष्ट्रपति	133,02,04,426	79.87	219,92,52,045	86.77%
2.	अन्य शेयरधारक	33,53,44,193	20.13	33,53,44,193	13.23%
3.	कुल (1+2)	166,55,48,619	100.00	253,45,96,238	100.00

IV. अधिमान इश्यू पूरा करने की समयावधि:

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन को पूरा किया जाएगा । आबंटन का समय किसी विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई है से ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लगने वाले समय के अनुसार बढ़ाया जाएगा ।

V. प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान और उनके द्वारा अधिमान इश्यू के पश्चात धारित प्रतिशतता और अधिमान इश्यू के परिणाम स्वरूप इश्यूकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि हो :

EXPLANATORY STATEMENTS

Item No. 1

The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹3000 crore (Rupees Three thousand crore only). The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on June 30, 2018 is ₹333.11 crore.

Presently, the shareholding of Government of India in your Bank is ₹266.04 crore, which constitute 79.87% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as per Basel III requirement, as on June 30, 2018 is as under.

Particulars	Amount ₹ in crore	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	119619.04	–
Tier-I Capital	7559.86	6.32
Tier-II Capital	2564.38	2.14
Total Capital Funds	10124.24	8.46

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. The Objects of the proposed Preferential Issue :

The Bank has been growing cautiously and there is constant requirement of capital. Also, to enable the Bank to meet Regulatory requirement of Capital under Basel III guidelines for 2017-18 as per the projections made by the Bank, the Government of India vide their Letter No. F. No. 7/38/2014-BOA dated 12th July, 2018 has decided to infuse capital funds during Financial Year 2017-18 into the Bank to the extent of ₹2,555 crore (Rupees Two thousand five hundred fifty five crore only).

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board and also to comply with BASEL-III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential issue upto 86,90,47,619 equity shares at a price of **₹29.40** to Government of India, determined in accordance with the provisions of Regulation 76, Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009, as amended from time-to-time, **("SEBI ICDR Regulations")**.

The present resolution is proposed to be passed as a special resolution in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue.

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures etc.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management persons other than Promoter of the Bank i.e. Government of India as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of Shares	% of Pre-allotment Paid-up Capital	Post-allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid-up Capital
1.	Promoter-President of India	133,02,04,426	79.87	219,92,52,045	86.77%
2.	Other Shareholders	33,53,44,193	20.13	33,53,44,193	13.23%
3.	Total (1+2)	166,55,48,619	100.00	253,45,96,238	100.00

IV. The timeline within which the Preferential issue shall be completed:

The allotment of equity shares on Preferential basis shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority if any.

V. The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post-preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :

प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	अधिमान आधार पर आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की सं.	शेयरों की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूँजी का %	आबंटन के बाद वृद्धिशील %
भारत के राष्ट्रपति	133,02,04,426	79.87	86,90,47,619	219,92,52,045	86.77%	6.90%

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक, अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमान आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

VI. प्रस्तावित अधिमान इश्यू का मूल्यन :

इश्यू मूल्य सेबी संशोधित आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76, अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

परिणामी ईक्विटी शेयरों का इश्यू मूल्य निर्धारित करने हेतु ''संबंधित तारीख'' **7 सितंबर 2018** (जो कार्यदिवस है, अर्थात्, सप्ताह के अंत से पहले होगी, जो अपेक्षित बहुमत के सदस्यों द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तारीख अर्थात् **08 अगस्त 2018** से 30 दिन पूर्व तारीख है ।

बैंक के ईक्विटी शेयर छब्बीस हफ्तों से अधिक समय से सूचीबद्ध है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) और 78(5) लागू नहीं है।

VII. आशय–पत्र

आपके बैंक को संदर्भ संख्या एफ सं.7/38/2014–बीओए दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग से संसूचना प्राप्त हुई है कि भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति) के पक्ष में ईक्विटी के अधिमान्य आबंटन द्वारा ₹2,555 करोड़ (रुपए दो हजार पाँच सौ पचपन करोड़ मात्र) की हद तक पूँजी लगाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है ।

VIII. सांविधिक लेखा–परीक्षकों से प्रमाणन :

प्रस्तावित अधिमान इश्यू पर विचार करने के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षकों से यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त प्रमाण–पत्र शेयरधारकों की असाधारण महासभा में रखा जाएगा कि उक्तइश्यू सेबी (आईसीडीआर) विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है । उक्तप्रमाण–पत्र की एक प्रति **7 सितंबर 2018** को असाधारण महासभा में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी ।

IX. निश्चित अवरुद्धता अवधि :

भारत सरकार(भारत के राष्ट्रपति) की पूर्ण अधिमान पूर्व धारिता संबंधित तारीख से इक्विटी शेयरों के व्यापार का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से छः महीने के लिए अवरुद्ध रहेगी तथा प्रवर्तकों को अर्थात् भारत सरकार को अधिमान आधार पर जारी करने हेतु प्रस्तावित ईक्विटी शेयर व्यापार का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से तीन वर्ष के लिए निश्चित अवरुद्धता अवधि के अधीन होगी।

X. भारत सरकार के सभी शेयर डीमैट रूप में होंगे और स्टॉक एक्स्चेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, में निर्धारित सूचीकरण करार में विनिर्दिष्टानुसार ईक्विटी सतत सूचीकरण के शर्तों के अनुसार करती है।

XI. भारत सरकार ने निर्धारित तारीख से पूर्व छः महीनों के दौरान बैंक के किसी ईक्विटी शेयर का विक्रय नहीं किया है।

XII. उपर्युक्तानुसार जारी ईक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सममूल्य पर होंगे।

XIII. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 41 के अनुसार, प्रथमतया अपने सभी शेयर (जब्त शेयर सम्मिलित), प्रतिभूतियाँ, अधिकार, प्राथमिकताएँ व लाभ यथानुपात में अपने सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरधारकों के लिए प्रस्तावित करेगी यदि शेयरधारकों ने आम बैठक में इसके विरुद्ध निर्णय नहीं लिया है । चूंकि यह प्रस्तावित है कि यथानुपात प्रदत्त शेयरों को छोड़ पूर्ण पेड–अप इक्विटी शेयरों को बैंक के मौजूदा शेयर धारकों को आबंटित किया जाएगा, उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदित होना आवश्यक है । साथ ही, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 72 (1) (क) के अंतर्गत इस विषय में एक विशिष्ट प्रस्ताव के अनुमोदन की भी आवश्यकता है चूंकि ये अधिमानी शेयर है ।

XIV. उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अधीन, जो निम्नानुसार है:

''केंद्र सरकार के अलावा प्रतिनिधिक बैंक का कोई भी शेयरधारक प्रतिनिधिक नए बैंक के सभी शेयरधारकों के द्वारा धारित शेयरों के संबंध में दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा और कार्पोरेशन बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के विनियम 61 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 के अध्याय VII के अनुसार विशेष संकल्प के रूप में उपर्युक्त संकल्प को पारित करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन माँगा जा रहा है ।

XV. आपके निदेशक उक्त संकल्प को अनुमोदन हेतु सिफारिश करते हैं।

XVI. बैंक के निदेशकों को अपनी व्यक्तिगत हैसियत से या भारत सरकार के नामिती के रूप में बैंक में उनकी शेयरधारिता की हद तक संकल्प की सूचना से संबंधित या हित निहित माना जाए।

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of Shares	% of the Pre-allotment Paid-up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post-allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid-up Capital	Incremental % post-allotment
President of India	133,02,04,426	79.87	86,90,47,619	219,92,52,045	86.77%	6.90%

The existing promoters of the Bank i.e. Government of India (the President of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with Regulation 76, Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations as amended upto date.

The "relevant date" for determining the issue price of the resultant equity shares is 8th August, 2018 being the date which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e. **7th September , 2018**.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

VII. Letter of Intent

Your Bank has received a communication vide reference Number F.No. 7/38/2014-BOA dated 12th July, 2018 from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, agreeing to infuse capital to the extent of ₹2,555 Crore (Rupees Two thousand five hundred fifty five crore only) by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India, i.e. President of India.

VIII. Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on **7th September, 2018**.

IX. Lock-in period:

The entire pre-preferential holding of Government of India (President of India) will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading approval granted for equity shares and the equity shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India shall be subject to a lock-in period of three years from the date of Trading approval.

X. All the shares held by the Government of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

XI. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

XII. The equity shares issued as above shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank.

XIII. In terms of Regulation 41 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro rata basis, to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. As it is proposed to allot fully paid-up Equity Shares other than on pro rata basis to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72(1)(a) of the SEBI ICDR Regulations, to pass a special resolution in this regard as this is a preferential issue.

XIV. In view of the above, approval of the shareholders is sought, subject to provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980, which is stated as under:

"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of the shares held by them in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank", and in terms of the provisions of the Chapter VII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended read with Regulation 61 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, to pass the above Resolution as a Special Resolution.

XV. Your Directors recommend the resolution for your approval.

XVI. The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

मद सं.2

बैंक के कर्मचारियों में लगाव की भावना को बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से बैंक की कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों सहित अपने स्थाई कर्मचारियों (पात्र कर्मचारियों) को नए ईक्विटी शेयर जारी करने का बैंक का प्रस्ताव है । प्रस्तावित निर्गम से दीर्घावधि संसाधनों की बढ़ती मांग भी पूरी होगी और बासेल III अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्त भी बढ़ेगी ।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 सेबी (एसबीईबी) के अनुपालन में बैंक, कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (''कार्पबैंक-ईएसपीए'') नामक एक योजना निरूपित कर रहा है । योजना बोर्ड की समिति द्वारा शासित होगी और लागू विधियों के अनुपालन के अधीन होगी ।

अतिरिक्त शर्तों के साथ यदि कोई हो, भारत सरकार की 51.00% की हिस्सेदारी बने रहने तक, भारत सरकार/सेबी/आरबीआई/अन्य विनियामक प्राधिकारियों से जरूरी/विनियामक अनुमोदन प्राप्ति के अधीन, वि. व. 2018-19 हेतु 5000 करोड़ पूंजी जुटाने की योजना के कुल पूंजी में से, बैंक के निदेशक मंडल ने एक या एक से अधिक चरणों में, ₹20 करोड़ तक के ईक्विटी शेयर (अर्थात 10 करोड़ तक ईक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹2 के अंकित मूल्य के साथ) प्रीमियम सहित कार्पोरेशन बैंक स्टॉक खरीद योजना ('कार्प बैंक-ईएसपीएस') के जरिए जारी करने का निर्णय लिया है।

दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के अलावा इस मुद्दे का उद्देश्य है:

i) बैंक की विकास एवं लाभप्रदता में योगदान के उनके प्रयासों को बल देने हेतु, पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना;

ii) बैंक के विकास में उनके लगातार सहयोग एवं योगदान हेतु पात्र कर्मचारी को पुरस्कृत करना ।

iii) बैंक में मालिकाना हित की प्राप्ति हेतु साधनों को उपलब्ध कराकर पात्र कर्मचारियों के द्वारा ईक्विटी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।

योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए ईक्विटी शेयर बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, का भुगतान सहित हर प्रकार से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों की सममूल्य रैंकिंग के होंगे ।

सेबी (सूचीकरण बाध्याताएँ व प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर) के विनियम 41(4) और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 6 के अनुपालन में बैंक पात्र कर्मचारियों को नए ईक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन हेतु एक विशेष संकल्प का प्रस्ताव कर रहा है ।

सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफ डी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांक 16 जून, 2015 के अनुसरण में उसमें उल्लिखित अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :

क. **योजना का संक्षिप्त विवरण** :
बैंक का प्रस्ताव कार्प बैंक ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के समस्त पात्र कर्मचारियों को ₹2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 10 (दस करोड़) तक के नए ईक्विटी शेयर लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन ऑफर के समय तक किए जाने वाले समुचित प्रीमियम के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करने का है जिससे सरकार की धारिता 51.00% से कम न हो ।

ख. **प्रदान किए जाने वाले कुल शेयरों की संख्या :**
कार्पबैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को समस्त 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के नए ईक्विटी शेयर प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

ग. **कार्पबैंक – ईएसपीएस में सहभागिता के हकदार और लाभार्थी बनने वाले कर्मचारियों की श्रेणियों का निर्धारण :**
बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक(कों) सहित बैंक के समस्त स्थायी कर्मचारी ।

घ. **अधिकार प्रदान करने (वेस्टिंग) की अपेक्षाएँ और अवधि :**
लागू नहीं ।

ङ. **अधिकतम अवधि यथास्थिति सेबी (एसबीईबी) विनियमों के विनियम 18 (1) और 24 (1) के अधीन जिसके अंदर आप्शन/एसएआर/लाभ प्रदान किया जाएगा :**
लागू नहीं ।

च. **प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य , क्रय मूल्य अथवा मूल्य निर्धारण फार्मुला :**
ऑफर मूल्य/क्रय मूल्य का निर्धारण ऑफर के समय बोर्ड/निदेशकों की समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा । बैंक के पात्र कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत आबंटित किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य पर अधिकतम 25.00% तक के छूट पर होगा ।

छ. प्रयोग की अवधि और प्रयोग की प्रक्रिया :
वह अवधि जिसके दौरान बोर्ड/समिति के निर्णयानुसार निर्गम खुला रहेगा वह प्रयोग की अवधि रहेगी । प्रयोग की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों की दी जाने वाली ऑफर, आवेदन पत्र की रसीद तथा सब्सक्रिप्शन राशि और इस योजना के अनुसार शेयरों का आबंटन सम्मिलित है ।

Item No. 2.

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its permanent employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank is formulating a Scheme namely Corporation Bank Employee Stock Purchase Scheme ("CorpBank-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of the total capital raising plan of ₹5000 crore for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity Share Capital to the extent of ₹20 crore (i.e. upto 10 crore equity shares with face value of ₹2 each) through Corporation Bank Employee Stock Purchase Scheme ("CorpBank-ESPS") with premium in one or more tranches subject to mandatory/regulatory approvals from the Government of India/SEBI/RBI/ other Regulatory Authorities in such a way that the Government of India holding does not come below 51.00% with additional conditions if any.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards contributing to the growth and profitability of the Bank;
ii) Rewarding eligible employee for their continued support and contribution towards the Bank's growth;
iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/2/2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. **BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:**
The Bank proposes to offer up to 10 (ten) crore new equity shares of face value of ₹2/- each of the Bank to all the Eligible Employees under CorpBank-ESPS subject to applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, with appropriate premium to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 51.00%.

B. **TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:**
Up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the CorpBank-ESPS.

C. **IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE CorpBank ESPS:**
All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank.

D. **REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:**
Not Applicable.

E. **MAXIMUM PERIOD {SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE} WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED:**
Not Applicable.

F. **EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:**
The Offer Price/Purchase Price will be determined by the Board/Committee of Directors at the time of offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of not more than 25.00% on Fair Market Value preceding the date on which the Board/Committee fixes Offer/Purchase Price.

G. **EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:**
The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

ज. **प्रस्तावित ईएसपीएस हेतु कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया :**
ऑफर की तिथि को यथास्थिति पात्र कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं और दिशानिर्देशों के अधीन सहभागिता हेतु पात्र होंगे ।

झ. **प्रति कर्मचारी और सकल रूप से जारी किए जाने वाले आप्शन, एसएआर, शेयरों की यथास्थिति अधिकतम संख्या:**
योजना के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु प्रति कर्मचारी नए ईक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या 10,000 (दस हजार) ईक्विटी शेयर है ।

बैंक का प्रस्ताव सकल रूप से अधिकतम 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के नए ईक्विटी शेयर जारी करने का है और प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले प्रस्तावित शेयर बैंक की इश्यू पश्चात प्रदत्त पूंजी के 1.00% से अधिक नहीं होगा ।

ञ. **योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम मात्रा :**
योजना के अंतर्गत उपर्युक्तपैरा (आई) में यथाउल्लिखित पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

ट. **क्या योजना(एं) सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित और अधिशासित होंगी अथवा न्यास के माध्यम से:**
प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित और अधिशासित होगी ।

ठ. **क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गम अथवा न्यास द्वारा सेकेंडरी अधिग्रहण अथवा दोनों शामिल है :**
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक, पात्र कर्मचारियों को सीधे नए ईक्विटी शेयर जारी करेगा ।

ड. **कंपनी द्वारा योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु न्यास को प्रदान की जाने वाली ऋण राशि, अवधि, उपयोग, चुकौती शर्तें आदि:**
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक के नए ईक्विटी शेयर, पात्र कर्मचारियों को सीधे जारी करने का प्रस्ताव है अत: न्यास के गठन अथवा न्यास को ऋण प्रदान करना लागू नहीं है ।

ढ. **सेकेंडरी अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के प्रयोजनों हेतु न्यास द्वारा बनाया जा सकता है:**
लागू नहीं ।

ण. **इस आशय का विवरण की बैंक, सेबी (एसबीईबी) के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखा नीतियों का अनुपालन करेगी :**
बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखा नीतियों का अनुपालन करेगा

त. **अपने आप्शन अथवा एसएआर के मूल्य हेतु बैंक द्वारा किस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा ।**
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक का प्रस्ताव नए ईक्विटी शेयर जारी करने का है अत: आप्शन एसएआर का मूल्यन लागू नहीं है ।

थ. **निम्निलिखित विवरण,यदि लागू हो:**
यदि बैंक आंतरिक मूल्य का उपयोग करके शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के व्यय का विकल्प चुनता है तो इस प्रकार गणना की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और कर्मचारी क्षतिपूर्ति की उस लागत, जिसे उचित मूल्य का उपयोग करके माना जाएगा, के अंतर को निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा तथा बैंक के लाभ तथा प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) पर इस अंतर के प्रभाव को भी निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा। बैंक उक्तअपेक्षाओं का अनुपालन करेगा,यदि लागू हो ।

द. **अवरूद्धता अवधि:**
सेबी (एसबीईबी) विनियम, 2014 के अनुसार वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए ईक्विटी शेयरों की अवरूद्धता अवधि आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु होगी ।

आपके निदेशक उक्तसंकल्प को अनुमोदन हेतु सिफारिश करते है ।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक, स्वतन्त्र निदेशक के अलावा अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक तथा अन्य प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) से संबंधित उपर्युक्तसंकल्प(पों) से संबंधित या इच्छुक है अपने हित के लिए है । स्वतन्त्र निदेशक, बैंक में अपनी शेयरधारिता के अलावा, यदि कोई हो सकंल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं ।

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस.के. दाश)
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु
दिनांक: 11.08.2018

H. **THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:**
Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. **MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:**
The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme is 10,000 (Ten thousand) equity shares.
The Bank proposes to issue maximum of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate and equity shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

J. **MAXMIUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:**
Other than equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. **WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:**
The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. **WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:**
Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

M. **THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE BANK TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC.:**
Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. **MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S):**
Not Applicable.

O. **A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE BANK SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:**
The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014.

P. **THE METHOD WHICH THE BANK SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:**
Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. **THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:**
In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report.
The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. **LOCK-IN PERIOD:**
The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

Your Directors recommend the resolution for your approval.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors, other non-executive Directors other than Independent Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution(s) as it is intended for their benefit. Independent Directors are not concerned or interested in the Resolution, except to their shareholding in the Bank if any.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK



Place : Mangaluru
Date : 11.08.2018

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूरु–575 001

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई..... (यदि डीमेट न किया गया हो)
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि डीमेट किया गया हो)

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम

राज्य के जिले के का/

के निवासी कार्पोरेशन बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा राज्य के

..... जिले के निवासी श्री/श्रीमती

को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य के जिले के निवासी

श्री/श्रीमती को 07 सितंबर, 2018 को, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूरु में आयोजित होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण महासभा में तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

कृपया पंद्रह पैसे का रसीदी टिकट चिपकाएं

..... माह के दिन, 2018 को हस्ताक्षरित।

.....

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि,
 क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
 ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिसमें शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार, एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो।
3. प्रॉक्सी के साथ
 क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
 ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तरनामा या प्राधिकार की प्रति असाधारण महासभा प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **01 सितंबर, 2018** को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् **अपराह्न 5.00 बजे** तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तरनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में प्रदान की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा।
9. कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फार्म ''बी'' में न हो।

Corporation Bank
Head Office : Mangaluru – 575 001

Regd. Folio No. CBE……. (If not Dematerialised)
DPID No. ……. Client ID No. ……..…….. (If Dematerialised)

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We,_____Resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Sri/Smt. _____ _____ resident of _____ in the district of _____ _____ in the State of _____ or failing him/her, Sri/Smt._____ _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on 7h day of September, 2018, at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALURU and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

Please affix fifteen paisa revenue stamp

.....

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing.
 b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing.
 c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar of Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Corporation Bank.
3. The proxy together with
 a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. **5.00 p.m. of 1st day of September, 2018**.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

कार्पोरेशन बैंक
CORPORATION BANK

प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूरु–575001.
Head Office: Mangala Devi Temple Road, Mangaluru-575001.

क्र.सं Sr.No.:

असाधारण महासभा के लिए उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र
ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक : 07 सितंबर, 2018 समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे स्थान : सभागृह, सहस्राब्दि भवन कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय मंगलूरु – 575 001	**Date : 07th September,2018** **Time : 10.30 A. M.** **Place: Auditorium, Millennium Building Corporation Bank, Head Office, Mangaluru - 575001**

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP
(प्रवेश के समय जमा किया जाए To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/ प्रॉक्सी Proxy/ अधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

टिप्पणी: संयुक्त धारिता के मामले में केवल प्रथम शेयरधारक को प्रवेश दिया जाएगा।
Note: Entry restricted only to the first named shareholder in case of joint holding.

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/ प्रॉक्सी Proxy/ अधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की सं. No. of Shares

क्र.सं Sr.No :

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

इलेक्ट्रानिक वोटिंग विवरण ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

इवन EVEN (ई–वोटिंग इवेंट नंबर E-VOTING EVENT NUMBER)	यूजर आई डी USER ID	पासवर्ड PASSWORD

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हॉल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश–पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए । फिर भी, प्रवेश आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पत्रक–सह–प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-entry Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/ Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

पी.एस. : बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन का वितरण नहीं किया जाएगा। कृपया बैठक में संलग्न सूचना की अपनी प्रति साथ लाएं ।

P.S. : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting. Please bring your copy of the enclosed Notice for the Meeting.